संख्या-178/2016/1771/71-1-2016-जी-154/2016

प्रेषक,

संजय कुमार उपाध्याय,
संयुक्त सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 लखनऊ : दिनॉक 09 अगस्त, 2016

विषयः- वित्तीय वर्ष 2016-17 में हृदय रोग संस्थान, कानपुर में ओ0पी0डी0, डायग्नोस्टिक एवं फिजियोथैरेपी विंग को आई0डी0एच0 भवन में स्थानान्तरित कर संस्थान के मुख्य भवन में 60 नयी शैय्या संचालित करने, आई0डी0एच0 के वर्तमान भवन का अनुरक्षण, एयरकन्डीशनिंग, समुचित प्रकाश व्यवस्था, रोगियों एवं उनके तीमारदारों के बैठने आदि निर्माण कार्यो हेतु धनराशि स्वीकृत किए जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 के पत्र संख्या-एमई/बजट/2015-16/806, दिनॉक 10-02-2016 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि हृदय रोग संस्थान, कानपुर में ओ0पी0डी0, डायग्नोस्टिक एवं फिजियोथैरेपी विंग को आई0डी0एच0 भवन में स्थानान्तरित कर संस्थान के मुख्य भवन में 60 नयी शैय्या संचालित करने, आई0डी0एच0 के वर्तमान भवन का अनुरक्षण, एयरकन्डीशनिंग, समुचित प्रकाश व्यवस्था, रोगियों एवं उनके तीमारदारों के बैठने आदि निर्माण कार्यो हेतु पी0एफ0ए0डी0 द्वारा आकलित लागत रू0 8,35,58,000/- (रू0 आठ करोड़ पैतीस लाख अट्ठावन हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए वित्तीय वर्ष 2016-17 में हृदय रोग संस्थान, कानपुर हेतु अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत 24-वृहद निर्माण कार्य के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष रू0 4,17,79,000/- (रू0 चार करोड़ सत्रह लाख उन्यासी हजार मात्र) की धनराशि व्यय किये जाने की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते है:-

1- स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं कार्यो/मदों में किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है, किन्ही अन्य कार्यो/मदों पर धनराशि का व्यय अथवा व्ययावर्तन वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।

2- महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0/निदेशक द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियॉ एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा।

3- प्रायोजना प्रस्ताव/आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्राविधानों को यथावत् मानते हुए लागत का आंकलन किया गया है, जिनमें कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे नये कार्य बढ़ाना, ड्राइंग एवं डिजाइन में परिवर्तन, अन्य उच्च विशिष्टियां इस्तेमाल करना इत्यादि, सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।

4- प्रायोजना का निर्माण कार्य निर्धारित समयावधि में अवश्य पूर्ण कर लिया जाय।

5- प्रायोजना के कार्यान्वयन हेतु महानिदेशक की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जाय तथा इसी समिति की देखरेख में उच्च गुणवत्ता के साथ निर्माण कार्य कराए जाए। कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी महानिदेशक की होगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

6- अवमुक्त धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार करते हुए व्यय नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को पी0एल0ए0/बैंक खाते में नही रखा जायेगा।

7- वित्त बजट-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनॉक 22-03-2016 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

8- प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की दिरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से महानिदेशक/ प्रधानाचार्य द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

9- स्वीकृत की जा रही धनराशि का नियमानुसार सदुपयोग सुनिश्चित किए जाने का दायित्व कार्यदायी संस्था एवं संबंधित निदेशक का होगा।

2- उक्त पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-31 के अधीन लेखाशीर्षक "4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-03-चिकित्सा, शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-105-एलोपैथी-44-गणेश शंकर विद्यार्थी स्मारक मेडिकल कालेज, कानपुर में स्थापित कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट-24-वृहद निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-3-1144/दस-2016, दिनॉक 08 अगस्त, 2016 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत् किए जा रहे है।

भवदीय

(संजय कुमार उपाध्याय)
संयुक्त सचिव

संख्या:-178/2016/1771(1)/71-1-2016 तद्यदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
3- निदेशक, हृदय रोग संस्थान, कानपुर/प्रधानाचार्य, मेडिकल कालेज, कानपुर।
4- वित्त नियंत्रक, मेडिकल कालेज, कानपुर।
5- वरिष्ठ कोषाधिकारी, कानपुर।
6- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0, गोमती नगर, लखनऊ।
7- नियोजन-अनुभाग-4, वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(जयवीर सिंह)
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।